न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांकः 13.6.2023

प्रार्थना–पत्र संख्या :–117/2023

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

GCMS NO:- 2023/159

छीतर आ0 बजरंगा जाति मीना नि. डेलपुरा तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थी

बनाम

आत्माराम आ0 प्रहलाद जाति मीना नि0 डेलपुरा तहसील नैनवॉ। (कुल 28)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री शंकरलाल शर्मा।

निर्णय दिनांक 30.05.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम डेलपुरा प0म0 गुढादेवजी मे खसरा नम्बर 116, 117, 122 कुल किता 3 कुल रकबा 1.9901 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/8 निहित है तथा प्रार्थी स्वयं वर्षो से कृषि काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर जाने के लिए एक वर्षो पुराना रास्ता है जो खसरा नम्बर 162, 161 के समीप होकर खसरा नम्बर 169 के मध्य की मेर से होकर प्रार्थी के खातेदारी खेत पर जाता हैं। जो करीबन 15 फुट चौडा है। इस रास्ते से प्रार्थी अपने कृषि उपकरणों को लाता ले जाता है। इस रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे लाल रंग से दर्शाया गया हैं। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के खेत मे जाने का नही है। प्रत्यार्थीगण द्वारा रास्ता पूर्णतया बंद कर देने से प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि पर नही जा पा रहा है तथा अपनी भूमि का सही उपयोग उपभोग भी नही कर रहा है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 116, 117, 122 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

नैनवॉ